न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—17 / 2018

1. महेन्द्रसिंह पुत्र चंदसिह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम्

1. नौरंग पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. हीरालाल पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू. अभिलेख) अनूपगढ़

—— अप्रार्थीगण

4. करणी सिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
5. लखविन्द्र कौर पत्नी बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
6. रणजीतसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

——तरतीबी प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.काश्त. अधि.
बाबत रास्ता मंजूर

:: संशोधित आदेश :: दिनांक-15.10.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अनवान महेन्द्र सिंह बनाम् नौरंग प्रकरण संख्या—17 / 2018 अन्तर्गत धारा 251(क) राज.काश्त.अधिनियम बाबत् रास्ता मंजूर में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अंतर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता** स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक—**07.09.2020** के अंतिम आदेश की पुष्ट पर मुरब्बा नं.—52 के स्थान पर मुरब्बा नं.—25 एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—17/2018

1. नहेन्द्रसिंह पुत्र चंदसिह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम्

1. नौरंग पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. हीरालाल पुत्र तुलसीराम जाति ब्रहम्ण निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू. अभिलेख) अनूपगढ़

—— अप्रार्थीगण

4. करणी सिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
5. लखविन्द्र कौर पत्नी बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)
6. रणजीतसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

——तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.काश्त. अधि.
बाबत रास्ता मंजूर

दिनांकः—07.09.2020

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री बलदेव सिंह भंगू ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट. के तहत रास्ता खेत स्वीकृत करने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या—04 वा05 के नाम से वाके चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—25 पत्थर सं.—102/10 का किला नं.—1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,16, 25/2 में कुल 13 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि मय खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो प्रार्थी के कब्जाकाश्त में है। तथा वर्तमान में प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि में फसल बिजांद कर रखी है तथा अप्रार्थीगण 01 वा 02 के नाम से इसी चक के मुरब्बा नं.—25 पत्थर संख्या—102/10 का किला नं.— 4,7,13, 14,17,18,19,20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 कुल 12 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न है। उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं.—25 पत्थर सं.—102/10 का किला नं. —1,2,3,5,6,,8,9,10,11,12,15,16,25/2 में कुल 13 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के चिपते अप्रार्थीगण संख्या—01 वा 02 की कृषि भूमि मुरब्बा नं.—25 पत्थर संख्या—102/10 के किला नं. —20,21 में एक—एक बिस्वा रास्ता जो मौके पर काफी अर्सा से चालू है का उपयोग,उपभोग करता रहा है। क्यों कि अप्रार्थीगण 01 वा 02 के किला नम्बर 21,20 के चिपते ही खडवंजा सड़क है जिसे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आता जाता है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण हर समय काश्तकारों के मध्य

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

झगड़ा रहता है। कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि में से उक्त रास्ता बंद करने का प्रयास किया था। यदि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण रास्ते को बंद करते है तो प्रार्थी अपने खेत में नहीं जा सकेगा। तथा मौके पर प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में फसल बिजांद कर रखी है जिसकी मौका पर सार संभाल नहीं होने पर नष्ट हो जायेगी। अप्रार्थीगण संख्या–4 वा 5 के नाम से मुरब्बा नं.–25 पत्थर संख्या–102/10 में सयुंक्त खाता में भूमि होने के कारण अप्राथीगण संख्या–04 व 05 को तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं.–4वा5 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं मुरब्बा नं.–25 पत्थर संख्या–102/10 के किला नं.–20,21 में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राहत प्रदान करने का निवेदन किया गया।।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 एवं 02 का सही पता नहीं होने के कारण उनके नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुयें। जिस पर वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या–01 एव 02 की तलबी हेतु नोटिस जरिए रजि. ए.डी. के साथ–साथ दैनिक समाचार में प्रकाशित करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या–01 एवं 02 की तलबी हेतु तलबी नोटिस जरिए रजि. ए.डी. भिजवाने के साथ–साथ राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये। लेकिन वे पुनः गलत पता अंकित होने के कारण वापिस प्राप्त हुये। प्रार्थी ने जरिए अप्रार्थीगण संख्या–01 एवं 02 के तलबी नोटिस दैनिक समाचार में प्रकाशित होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या–01 एवं 02 न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या–4 एवं 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार कामरा ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करना नहीं चाहा इसलिए अप्रार्थीगण संख्या–04 एवं 05 का जवाब बंद किया गया। जबकि अप्रार्थीगण संख्या–6 का नोटिस न्यायालय की राय में सम्यक् रूप से तामिल होने के बावजूद वह न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश न्यायालय के द्वारा दिये गये।

भू. अभिलेख निरीक्षक पतरोड़ा की ओर से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृति हेतु चाहा गया प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। उपर्युक्त रिपोर्ट में चक 10 एमडी प.नं.–102/10 किला नं.–1ता3, 8ता10,11,12,5,6,15,16,25/2 कुल रकबा 3.238 हैक्टर कमाण्ड महेन्द्रसिंह पुत्र चंद सिंह 1.619 हैक्टर करणी सिंह पुत्र बूटासिंह 1.214 हैक. लखविन्द्र कौर पत्नी बूटासिंह 0.405 हैक्टर जाति जटसिख साकिन 39 जीबी खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं.–102/10 किला नं.–4,7,13,14,17ता24 कुल रकबा 2.936 हैक्टर कमाण्ड नौरंगलाल, हीरालाल पिसरान तुलसीराम ब्राहम्ण प्री–55 गैर खातेदारान के नाम से दर्ज है। वैकल्पिक मार्ग प. नं.–102/10 के किला नं.–04 में सिंचाई सुविधा हेतु निर्मित खाला अवरोध है अन्य कोई लघुतम वैकल्पिक मार्ग नहीं है।प्रस्तावित रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए न होकर आत्यंतिक आवश्यक है। वांछित रास्ता दस गुणा गैर खातेदारान के रकबा से चाहा गया है अतः अंशधारकों का भूमि विनिमय संभव नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के प्रतिनिधि के तौर पर भू. अभिलेख निरीक्षक पतरोड़ा द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी व नक्शा पेश किया गया। भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकृति हेतु जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिए रास्ता

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आवश्यक है। प्रस्तावित रूट के अतिरिक्त अन्य रास्ता लघुत्तम नहीं है।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "क" राज. काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 10 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 52 पत्थर सं. 102/10 के किला नम्बर 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,16,25/2 में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–102/10 के किला नं. –20, 21 में प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम,1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण सं.–01 एवं 02 को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **07.09.2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner